Review Of Research
ISSN 2249-894X

Impact Factor : 3.1402(UIF)
Volume - 5 | Issue - 1 | Oct - 2015

स्वाधीनता उपरांत शास्त्रीय संगीत के प्रचार-प्रसार में सरकार एवं निजी संस्थानों का योगदान

प्रो. मृत्युंजय अगड़ी
अध्यक्ष, स्नातकोत्तर संगीता विभाग, कर्नाटक विश्वविद्यालय धारवाड.

किसी भी देश की प्रगति तथा उसकी सभ्यता का अनुमान उसकी कला एवं संस्कृति से ही आँका जा सकता है। स्वाधीनता उपरांत भारत में भी इस ओर विशेष प्रयास आरम्भ हुए। दूसरे देशों की संस्कृति से परिचित होने तथा अपनी संस्कृति से उन्हें परिचित कराने के लिए सरकार द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। जिसके लिए केन्द्र सरकार और प्रांतीय सरकार ने विभिन्न योजनाएँ बनाकर अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु उन्हें कार्यान्वित किया है जो इस प्रकार हैं:-

शास्त्रीय संगीत के प्रचार-प्रसार में केन्द्र सरकार का योगदान :

स्वतंत्र भारत में केन्द्र सरकार ने संगीत सम्बंधी कतिपय महत्त्वपूर्ण योजनाओं के अंतर्गत जिन बिन्दुओं पर विचार किया है वे इस प्रकार हैं:-

1. भारत की संस्कृति एवं कला की उन्नति के लिए केन्द्र में अकादमियों की स्थापना की गई है। इन अकादमियों में कला, नृत्य, नाटक, संगीत एवं साहित्य आदि विषयों के प्रोत्साहन हेतु इनका समावेश किया गया है।
2. समय-समय पर राज्य सभा में कला के विशिष्ट ज्ञाता को राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किया जाता है।'
3. संस्कृति विभाग के अंतर्गत निम्नलिखित कलाओं का उल्लेख किया गया है-चित्रकला, वास्तुकला, स्थापत्य कला, हस्तकला आदि। इसके साथ ही युवा पीढ़ी को प्रोत्साहन, प्रतिभावान छात्र शिक्षावृत्ति (फेलोशिप) (उम्र 25 से 65 तक) तथा जरूरतमंद कलाकारों की आर्थिक सहायता के उद्देश्य से ललित कला अकादमी, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट (संगीत, नृत्य एवं नाटक), संगीत नाटक अकादमी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, साहित्य अकादमी की स्थापना, भी की गई है।
4. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का योगदान राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय पुणे, सूचना व प्रसार मंत्रालय के एक घटक के रूप में फरवरी 1964 में स्थापित हुआ। इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं- (1) आगामी पीढ़ियों के लिए भारतीय सिनेमा की विरासत को ढूँढना, अर्जित करना और सुरक्षित रखना। (2) फिल्म से सम्बंधित सामग्री को वर्गीकृत करना, अभिलिखित करना, शोध कार्य करना। (3) फिल्म संस्कृति के प्रसारण के लिए केन्द्र के रूप में कार्य करना। इसका मुख्यालय पुणे में हैं, लेकिन इसके बंगलौर, कोलकाता व तिरूवन्धपुरम में क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। इसके पास 16 एम.एम. फिल्मों का वितरण पुस्तकालय भी है, जो सारे देश में अपने सदस्यों को सहायता प्रदान करता है।

सन 1969ई से यह फिल्म संग्रहालय (आरकाईवज) के अंतर्राष्ट्रीय संघ का भी सदस्य है। जो इसे इस योग्य बनाता है कि यह उनसे विशेष परामर्श प्राप्त करे, अभिलेखन, संदर्भ ग्रंथों, संरक्षण तकनीकों आदि के विषय में सामग्री प्राप्त कर सके और संग्रहालय आदान-प्रदान तकनीकों के अंतर्गत दुर्लभफिल्मों का विनिमय करे। यह पुणे में तथा अपने अन्य केन्द्रों में अनेक अल्पकालिक पाठ्यक्रम का भी संचालन करता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी दूरदर्शन आदि माध्यमों की सहायता से शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत, लोक एवं आदिवासी संगीत के प्रति जनता में जागरूकता एवं जिज्ञासा उत्पन्न करने में अपना प्रमुख स्थान रखता है।

5. केन्द्रीय शिक्षा तथा सांस्कृतिक मंत्रालय केन्द्र के तत्त्वाधान में केन्द्रीय 'गजेटियर्स इकाई' की एक शाखा है। जिसका मुख्य कार्य, केन्द्र तथा राज्यों के कार्यों को लिपिबद्ध कर, प्रकाशित करना है। चार गजेटियर्स भारत सरकार द्वारा प्रकाशित होती थीं.' जिनके नाम इस प्रकार हैं-

(ख) कन्ट्री एण्ड पिपुल

(ग) इकॉनोमी स्ट्रक्चर एन्ड एक्टिविटीज

(घ) एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड पब्लिक वेलफेयर।

इन चारों का प्रकाशन हो चुका है।

भारत अनेक अन्य देशों से अंतर्राष्ट्रीय सम्बंध स्थापित कर अपने देश के विभिन्न प्रांतों और विदेशों के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान सम्बंधी कार्यक्रमों का आयोजन कर संगीत शिक्षा का विस्तार कर रहा है। भारत के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का मुख्य मंत्रालय 'यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर' है। अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का कार्य इंडियन नेशनल कमीशन तथा यूनेस्को के सहयोग से होता है।"

संगीत नाटक अकादमी :

स्वाधीनता उपरांत शिक्षा मंत्रालय के 31 मई, 1952 के प्रस्ताव के अनुसार केन्द्रीय अकादमी ने सन् 1953 में साहित्य और ललित कला अकादमियों के साथ संगीत, नाटक तथा अन्य अभिनीत कलाओं के संरक्षण और संवर्धन, हेतु 'संगीत नाटक अकादमी' की स्थापना नई दिल्ली में की, जिसका उद्घाटन 28 जनवरी 1954 को हुआ।

आज सम्पूर्ण देश के प्रायः प्रत्येक प्रांत में एक अकादमी है जैसे मध्य प्रदेश नाटक अकादमी; उत्तर प्रदेश नाटक अकादमी, लखनऊ; राजस्थान संगीत अकादमी, जयपुर। इन अकादमियों का कार्यभार केन्द्रीय अकादमी नहीं अपितु स्वयं राज्य सरकारें संभालती हैं। इन अकादमियों की नियुक्ति प्रांतीय प्रशासन के द्वारा ही होती है इसलिए उनकी नीति और कार्यक्रमों का स्वायत्त रहना भी स्वाभाविक है। नृत्य और नाटक के विकास के लिए यह अकादमी दो राष्ट्रीय संस्थान चला रही हैं कथक केन्द्र, नई दिल्ली और जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी, इम्फाल। इनमें संगीत शोध के नए-नए अवसर प्रदान किए जाते हैं।" अकादमी के सर्वश्रेष्ठ अधिकार जनरल काउन्सिल के होते हैं। इस काउन्सिल में शासन के प्रतिनिधियों, विद्वत्परिषद् के प्रतिनिधियों तथा प्रसिद्ध कलाकारों का समावेश होता है, जिनका नीतिविषयक मार्गदर्शन प्रशासन करता है। यह काउन्सिल अकादमी का कार्य यथोचित ढंग से चलाने हेतु विविध समितियों तथा मण्डलों का निर्माण करती है। इन सभी में कार्यकारी मंडल अपना विशेष महत्त्व रखता है। अकादमी के कार्य के सम्बंध में मार्ग दर्शन करना अथवा उस पर नियन्त्रण रखना आदि का उत्तरदायित्व इस मण्डल पर ही रहता है। अकादमी का महत्त्वपूर्ण कार्य कलाकारों को संरक्षण देना तथा

अन्वेषणात्मक कार्य के संदर्भ में प्रचलित कला प्रकारों की रक्षा करना होता है जिसके साधन आदि एकत्र करने तथा उन्हें संग्रहित करने के लिए प्रशासन की ओर से आर्थिक सहायता दी जाती है।' प्रारम्भ से ही संगीत, नाटक, नृत्य तथा फिल्म के क्षेत्र में विभिन्न गोष्ठियों का आयोजन अकादमी करती आ रही है। शास्त्रीय संगीत के प्रचार-प्रसार हेतु संगीत सम्मेलनों का आयोजन भी अकादमी द्वारा किया जाता है। 'ध्रुपद' प्राचीन गायन शैली, जो कभी शास्त्रीय संगीत की प्रधान शैली रही है, आज ख्याल और ग़ज़ल के दौर में लुप्त होती जा रही है किन्तु अकादमी ध्रुपद शैली को जीवित रखने हेतु प्रतिवर्ष 'ध्रुपद मेले' का आयोजन करती है जिससे वास्तव में ध्रुपद शैली के प्रचार-प्रसार में बढ़ोतरी हुई है।

अकादमी प्राचीन हस्तलिपियों का मुद्रण लोक व जातीय कलाओं के चलचित्र तथा संगीत सम्बंधी रिकॉर्ड भी तैयार करवाती है। प्राचीन सामग्री को भी अकादमी के संग्रहालय में संग्रहित किया हुआ है जिससे शोधकर्ताओं को भी वास्तव में लाभ पहुँचा है। अनेक ग्रंथ, ध्वनि पट्टिकाएँ, ध्वनि मुद्रिकाएँ, छायाचित्र, फिल्म स्लाईड आदि इसके उदाहरण हैं। रवीन्द्र भवन स्थित 'आसावरी' नामक 'संग्रहालय' में आदिवासी लोक तथा शास्त्रीय वाद्य यंत्रों का विशाल संग्रह किया गया है। इस संग्रह में विभिन्न वाद्य समूहों के लगभग 400 यंत्र रखे गए हैं। इनमें आदिम वाद्य यंत्रों से लेकर बारीकियों से युक्त वाद्य अत्यंत कलात्मक उत्कीर्ण यंत्र तथा आधुनिक यंत्र भी हैं।

अकादमी के पुस्तकालय में संगीत, नाट्य तथा नृत्य के विषयों पर अनेक पुस्तकों, पत्रिकाओं का संग्रह है। एक त्रैमासिक पत्रिका 'संगीत नाटक' का प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में किया जाता है। इस महत्त्वपूर्ण पत्रिका में विभिन्न विषयों से सम्बंधित लेख पढ़कर जिज्ञासु लाभान्वित होते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक विद्वानों, विशेषज्ञों तथा कलाकारों के विचारों को जानने का सुअवसर मिलता है।"

भारतीय कलाकारों का संपर्क विदेशों से तथा विदेशी कलाकारों का सम्पर्क भारत से बढ़ाने हेतु भी 'संगीत नाटक अकादमी' ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समय-समय पर भारतीय कलाकारों के शिष्ट मण्डल यूरोप, चीन, पूर्वी एशिया आदि देशों में भेजे जाते हैं।[10] अकादमी के द्वारा उन श्रेष्ठ रचनाओं को पुरस्कृत किया जाता है जो संगीत, नाटक तथा नृत्य पर लिखी जाती हैं तथा कलाकारों की कला-साधना को और अधिक प्रोत्साहित करने, उन्हें आर्थिक सहायता तथा सम्मान देने के लिए भी पुरस्कार वितरित किए जाते हैं।

26 जनवरी, 1981 के पावन दिवस पर पं. रवि शंकर (सितार वादक) को 'पद्मविभूषण' की उपाधि से अलंकृत किया गया। यह सम्मान उन्हें उनके उच्चकोटि के संगीत कार्यों के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया। संगीत नाटक अकादमी द्वारा सन् 1980 ई. में श्रीमती निवृत्ति बुआ सरनायक तथा विष्णु गोविन्द जोग (वायलिन वादक) को फैलोशिप अवॉर्ड प्रदान किया गया। फैलोशिप अवॉर्ड 1979 ई. में श्री पी.एल. देशपाण्डे, श्री डी.टी. जोशी, श्री टी.पी. श्री कुपिया पिल्लई एस. मुडारकर, पं. सामता प्रसाद (तबला वादक), श्रीमती कनिका बैनर्जी (रवीन्द्र संगीत), श्रीमती रोहिणी भट्ट (नृत्य) को मिला।

सन् 1954 ई. में 'संगीत नाटक अकादमी' ने प्रथम राष्ट्रीय संगीत महोत्सव का आयोजन किया और इस अकादमी के तत्वाधान में संगीत और नृत्य पर राष्ट्रीय पुरस्कार देने भी आरम्भ किए, जिन्हें यह पुरस्कार प्रदान किए गए, उनमें से कुछ प्रमुख कलाकार थे-उ० रजबअली खाँ, श्री गोविन्दराव बुरहन पुरकर, श्री शम्भु महाराज, श्रीमती केसरबाई तथा बाल सरस्वती।

तरुण संगीत छात्रों को प्रोत्साहन :

'संगीत नाटक अकादमी' द्वारा प्रत्येक वर्ष 75 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। यह छात्रवृत्ति 18 से 28 वर्ष के युवा कलाकारों को ही दी जाती है। इस छात्रवृत्ति का मुख्य उद्देश्य युवाओं की कला क्षमता में विकास करना है। यह प्रोत्साहन

संगीत, नृत्य, चित्रकला तथा वास्तुकला के लिए दिया जाता है। 25 छात्रवृत्तियां घरानेदार अथवा संप्रदाय वालों की संतानों को देने के लिए सुरक्षित रखी गयी है। 600 रुपये वार्षिक उन बच्चों को दिया जाता है जो अपने निवास स्थान से अन्य स्थान पर जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। उपर्युक्त दोनों स्वरूपों में 1000 रुपये तक शिक्षण भत्ता (ट्यूशन फीस) दिया जाता है।"[11]

वृद्ध तथा जरूरतमंद कलाकारों को आर्थिक सहायता :

संगीत नाटक अकादमी द्वारा उन जरूरतमंद कलाकारों को भी सहायता दी जाती है, जो अपनी कला के क्षेत्र में अत्यधिक ख्याति प्राप्त कर चुके हैं तथा जिनकी उम्र 58 वर्ष से अधिक है एवं मासिक आय 400 रुपये से कम है। ऐसे कलाकारों को आर्थिक सहायता के रूप में 200 रुपये देने का प्रावधान है। केन्द्रीय अकादमी के द्वारा दिल्ली में 'राष्ट्रीय नाट्यशाला' और दिल्ली तथा मणिपुर में नृत्य के दो शिक्षा केन्द्रों का संचालन किया जाता है। गायन, नृत्य और नाट्य की शिक्षा देने वाले विद्यालयों, महाविद्यालयों और स्वतंत्र रूप से चलाई जाने वाली संस्थाओं की भी अकादमी आर्थिक सहायता करती है। कुछ अकादमियों, जैसे आंध्र और मैसूर की अकादमियों ने गायन-वादन, नृत्य और नाट्य की शिक्षा देने वाली संस्थाएँ चलाई हैं।

अकादमी के कुछ प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं-

1. कला प्रकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए ध्वनि मुद्रण।
2. लोक संगीत तथा लोक नृत्य के ध्वनि मुद्रण की ओर विशेष ध्यान।
3. वाद्यों का संग्रह एवं वादन का ध्वनि मुद्रण।
4. शिक्षा संस्थाओं की आर्थिक सहायता और स्वयं अकादमियों के द्वारा ऐसी संस्थाओं का संचालन।
5. संगीत विषयक ग्रंथों का प्रकाशन।
6. संगीत की महफिलों का आयोजन।
7. कलाकारों को छात्रवृत्तियाँ, पारितोषिक तथा निवृत्ति सेवन द्वारा सम्मान और आर्थिक सहायता प्रदान करना।

ललित कला अकादमी :

सन् 1954 ई. में भारत सरकार द्वारा दिल्ली में ललित कला अकादमी की स्थापना की गई। इस अकादमी का अन्य नाम 'नैशनल अकादमी ऑफ फाइन आर्ट्स' है। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय कलाओं का देश-विदेश में प्रचार कर उन्हें प्रोत्साहन देना है। यह अपने कार्यों का प्रचार, प्रकाशन, प्रदर्शनी, वर्कशॉप लगाकर करती है। इस अकादमी द्वारा उन रंगीन चित्रों की नकल होती है जो गुफाओं, मंदिरों, किलों की दीवारों तथा जमीनों पर बने हुए हैं। इस प्रकार संगीत से सम्बंधित अनेक चित्र भी इस कार्य के द्वारा सुलभ हो गये हैं। इन अकादमियों के प्रयत्नस्वरूप विभिन्न ललित कलाओं का पुनरुत्थान आरंभ हो गया है तथा जिसके परिणामस्वरूप गायन, नृत्य, नाट्य की शिक्षा देने वाले स्कूल, कॉलेजों और पेशेवर संस्थाओं की संख्या शीघ्रता से बढ़ने लगी है। अकादमी ऐसी संस्थाओं को आर्थिक सहायता देती है।

भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों में स्थापित संगीत अकादमियाँ :

20वीं शताब्दी की संगीत संस्थानों के साथ ही साथ विभिन्न राज्यों में स्थापित अकादमियों का निस्संदेह एक उल्लेखनीय योगदान है। स्वाधीनता उपरांत संगीत के विकास कार्य में जिन अकादमियों ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनके नाम इस प्रकार हैं-

उड़ीसा संगीत नाटक अकादमी, भुवनेश्वर
आन्ध्रप्रदेश संगीत अकादमी, हैदराबाद
आन्ध्रप्रदेश नृत्य अकादमी, हैदराबाद
बिहार राज्य कला अकादमी, पटना
गुजरात संगीत नृत्य नाट्य अकादमी, अहमदाबाद
केरल संगीत नाटक अकादमी, त्रिचुर
कर्नाटक नृत्य एवं संगीत अकादमी, बैंगलूर
राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, जयपुर
पश्चिमी बंगाल नाट्य संगीत ललित कला अकादमी, कोलकाता
हिमाचल कला संस्कृति, भाषा अकादमी, शिमला
जम्मू एवं कश्मीर अकादमी, श्रीनगर
मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद, भोपाल
उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ
मणिपुर राज्य कला अकादमी, लखीपुर-खनपों
पंजाब संगीत नाटक अकादमी, चंडीगढ़।
तमिलनाडू संगीत अकादमी, मद्रास।
कालिदास अकादमी, उज्जैन (मध्यप्रदेश)
साहित्य कला परिषद्, दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का सांकृतिक विभाग)

साहित्य कला परिषद्, दिल्ली के नागरिकों को घर-घर पहुँच कर कला एवं संस्कृति प्रदान कर रही है। साहित्य कला परिषद् की संगीत, नृत्य, नाटक एवं ललित कलाओं के उत्थान हेतु विभिन्न योजनाएँ इस प्रकार हैं:-

युवा कलाकारों को आगे प्रशिक्षण हेतु संगीत, नृत्य, नाटक तथा ललित कलाओं के क्षेत्र में छात्रवृत्तियाँ फैलोशिप प्रदान करना। युवा महोत्सव विभिन्न कलात्मक क्षेत्रों में कार्यरत युवा कलाकारों के लिए पूरी तरह समर्पित संगीत, नृत्य नाटक और ललित कलाओं का एक उत्सव आयोजित करना। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कलाकारों की खोज करने के उद्देश्य से वार्षिक संगीत, नृत्य एवं नाटक समारोह की योजना। दिल्ली शहर एवं देहात के निवासियों के लाभार्थ कला एवं संस्कृति के कार्यक्रम आयोजित किए जाते है। जैसे-गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आयोजित गुरु पर्व कार्यक्रम जिसमें पं. कुमार गंधर्व द्वारा गायन प्रस्तुत किया गया था। (परिशिष्ट संख्या 6 देखें।)

राष्ट्रीय एकता तथा सांस्कृतिक जागरण के उद्देश्य से दिल्ली के कलाकार दूसरे प्रांतों में भेजे जाते हैं तथा दूसरे प्रांतों के कलाकार कला प्रदर्शन के लिए दिल्ली बुलाए जाते हैं। प्रति वर्ष साहित्य कला परिषद् संगीत, नृत्य, नाटक तथा ललित कलाओं के क्षेत्र में शानदार योगदान के लिए दिल्ली के श्रेष्ठतम कलाकारों को सम्मानित करती है।
रचनात्मक लेखन में लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए परिषद् नाट्य लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन करती है।
पुरस्कृत नाटकों के मंचन हेतु साहित्य कला परिषद् द्वारा नाट्य उत्सव आयोजन किया जाता है।

बचपन से ही बच्चों में छिपी प्रतिभा को खोजकर उसे फलने-फूलने के पर्याप्त अवसर देने के उद्देश्य से ग्रीष्मावकाश में बाल रंगमंच कार्यशाला एवं बाल चित्रकला कार्यशालाओं का आयोजन भी परिषद् द्वारा किया जाता है। ललित कला की प्रदर्शनियों के लिए निःशुल्क कलादीर्घा की सुविधा भी परिषद् देती है। भारतीय शास्त्रीय संगीत को भारत सरकार द्वारा प्रश्रय भारतीय सांस्कृतिक सम्बंध परिषद् (इंडियन कौन्सिल फॉर कल्चरल रिलेशन्सः)" इस संस्था की स्थापना सन् 1950 में नई दिल्ली में हुई। इस संस्था को 'मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटरनल अफेअर्स' के अंतर्गत रखा गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य विदेशों से अच्छे सम्बंध स्थापित करना है। इस काउंसिल का क्षेत्रीय कार्यालय बंगलौर, मुम्बई, कोलकाता, चंडीगढ़, मद्रास और वाराणसी में है। इसके अनेक कार्य हैं जैसे एक्सचेंज ऑफ कल्चरल डेलीगेशन, विद्वानों तथा कलाकारों के व्याख्यानों का आयोजन, सेमीनार, कॉन्फ्रेंस आदि का आयोजन तथा अंग्रेज़ी, अरबी, फ्रेन्च और हिन्दी में सामयिक पत्रिकाओं का प्रकाशन। इस काउंसिल के द्वारा सन् 1964 से 'जवाहरलाल पुरस्कार' दिया जा रहा है। विदेशी वायलिन वादक यहूदी मैन्यूहिन को यह पुरस्कार मिल चुका है। इस पुरस्कार का मुख्य ध्येय भारत की अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना बढ़ाना तथा भारत में शांति स्थापित करना है।

भारतीय शास्त्रीय संगीत का अंतर्राष्ट्रीयकरण :

स्वतंत्रता के पश्चात भारत की राजधानी में 'मिनिस्ट्री ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एण्ड कल्चरल एफेयर्स' की स्थापना हुई, जिसमें देश-विदेश से सांस्कृतिक सम्बंध बनाए रखने एवं मैत्रीपूर्ण व्यवहार बढ़ाने के लिए कार्य किये जाते हैं। इस विभाग में अनेक उपविभाग हैं, जिनमें एक्सटरनल कलचरल रिलेन्स, एक महत्त्वपूर्ण उपविभाग है। इसके अंतर्गत विदेशों से सांस्कृतिक मण्डलों को विदेश भेजा जाता है। इस कार्य के लिये उनके पास एक सूचना केन्द्र (इन्फरमेशन ब्यूरो) है, जहाँ से आवश्यक सूचनाएँ प्राप्त हो सकती हैं। इस सांस्कृतिक विभाग के माध्यम से अब तक सैंकड़ों कलाकार विदेश जा चुके हैं। यह परंपरा सामान्य परिवर्तनों सहित आज भी प्रचलित है।

अंतर्राष्ट्रीय सम्बंधों में सांस्कृतिक सम्बंध सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि सांस्कृतिक संबंधों की नींव भावुकता पर आधारित होती है। इस प्रकार के सम्बन्धों से हम अपनी संस्कृति एवं सभ्यता को अन्य देशों तक पहुँचा सकते है।
इन्हीं मूलभूत उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अमेरिका में दो संस्थान (फाउण्डेशन) हैं, जिनमें 'फोर्ड फाउन्डेशन' तथा 'राक फैलो फाउन्डेशन' अधिक प्रसिद्ध हैं. यहाँ वादकों में तबला संगतकार तो आवश्यक हैं ही, परन्तु तंत्र वाद्य में 'सितार' की मांग सबसे अधिक है क्योंकि सितार का प्रभाव दृश्य-श्रव्य (ऑडियोविजुअल) है और टी.वी. के प्रचार के साथ-साथ नृत्य कलाविशारदों की मांग भी बढ़ गई है। इन संस्थानों ने अब तक अनेक कलाकारों को आमंत्रित किया है जिसमें उ. अली अकबर खाँ, पं. रविशंकर, पं. निखिल बैनर्जी, उ. विलायत खाँ आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। उपर्युक्त संस्थाओं के सूचना विभागों में जाकर पूछताछ करने से यह ज्ञात होता है कि लगभग एक दशक पूर्व, भारत से विदेश जाने वाले संगीतज्ञों में वादकों की संख्या सबसे अधिक थी।

विभिन्न छात्रवृत्तियों की व्यवस्था

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा छात्रवृत्तियों की व्यवस्था

भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सांस्कृतिक विभाग द्वारा युवा कलाकारों के लिए सन् 1989-90 में 150 छात्रवृत्तियाँ प्रदान करने की घोषणा की गई।' इस योजना के अंतर्गत संगीत, नृत्य, दृश्य कलाओं, नाटक लोक, पारंपरिक और स्वदेशी कलाओं के क्षेत्र में उच्च प्रशिक्षण के लिए भारत में 18-35 वर्ष की आयु वर्ग के विशेष कलाकारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। छात्रवृत्ति की अवधि 2 वर्ष की होती है और उन्हें प्रत्येक माह 2,000 रुपये दिए जाते हैं। प्रत्येक वर्ष कुल 400 प्रतिभागियों को यह छात्रवृत्ति प्रदान की जाती हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा छात्रवृत्तियों की व्यवस्था :

वर्तमान समय की महंगी शिक्षा तथा शिक्षा में पड़ने वाले व्यवधानों को दृष्टि में रखते हुए सरकार ने शिक्षावरोध उत्पन्न करने वाले घटकों का निराकरण करने के उद्देश्य से विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता दिए जाने का निर्णय लिया। यह अनुदान प्रदान करने तथा इसके लिए अर्हता पूर्ण करने वाले विद्यार्थियों का चयन करने का कार्य 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' (यू.जी. सी.) ने अपने ऊपर ले लिया। इसके लिए विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित एक परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है। इस परीक्षा का आयोजन प्रतिवर्ष दो बार छः मास के अन्तराल पर किया जाता है। यह परीक्षा देने के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर परीक्षार्थी को कम से कम 55 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

प्रारंभिक अवस्था में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 250/- रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति के रूप में दिए जाने की योजना बनाई गई, तत्पश्चात यह राशि बढ़ाकर 600/- रुपये कर दी गई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मूलभूत विकास के अंतर्गत विश्वविद्यालयीन विकास, महाविद्यालयों का विकास, स्वायत्त महाविद्यालयों आदि के विकास के साथ-साथ उनमें संगोष्ठियों परिचर्चाओं, कार्यशालाओं आदि के माध्यम से शैक्षणिक उपयोगिता बढ़ाने के लिए 20,000 से लेकर एक लाख या उससे भी अधिक अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया। इसमें राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति, शिक्षक अध्येतावृत्तियाँ, अनुसंधान तथा शिक्षण हेतु शिक्षा परीक्षा, एसोसिएटशिप, ऐकेडमिक स्टाफ योजना, सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आदि भी समन्वित हैं।"

राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.ई.आर.टी.) :

राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की योजनाओं के अंतर्गत शोधकार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना, अध्ययनरत शिक्षकों हेतु उच्चस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना, प्रशिक्षण के लिए विस्तृत सेवाओं का प्रबंध करना, उन्नत शैक्षणिक तकनीकों एवं अभ्यास प्रक्रियाओं द्वारा प्रायोगिक परीक्षण करना आदि समायोजित होने के साथ-साथ नवीन पद्धतियों द्वारा सौन्दर्य बोध, सृजनात्मक क्षमता एवं कला के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए अपने संस्थान में ही स्थित शैक्षणिक दूरदर्शन उत्पादन एवं फिल्म प्रभाग, दूरवर्ती शिक्षा योजना, शोध लेखन एवं शिक्षण विभाग, शैक्षिक आकाशवाणी विभाग, रेखा चित्रण और मुद्रण विभाग, केन्द्रीय पुस्तकालय विभाग आदि की सहायता लेते हुए कार्यक्रम तैयार करके देश के प्रत्येक कोने में रह रहे

विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का प्रयास किया जाता है। इसके अतिरिक्त परिषद् द्वारा संगीत शिक्षा को सुदृढ़ रूप प्रदान करने के लिए विद्यार्थियों तथा शिक्षकों के लिए अनेकानेक दृश्य कैसेट तैयार किए गए हैं।"

इमेरिट्स शिक्षावृत्ति (फैलोशिप) :

यह शिक्षावृत्ति (फैलोशिप) योजना उन कलाकारों को आर्थिक समर्थन देने के लिए तैयार की गई है जो आर्थिक रूप से सम्पन्न नहीं हैं। इसका उद्देश्य है कि ये कलाकार अपने-अपने क्षेत्रों में उच्च-स्तरीय कुशलता प्राप्त कर अपने कला कौशल का प्रयोग करके आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सकें। यह फैलोशिप प्रति माह 7,500 रुपये की है और इसकी अवधि 2 वर्ष है। प्रत्येक वर्ष कुल 30 प्रतिभागी यह फैलोशिप प्राप्त करते हैं।

कुमार गंधर्व शिक्षावृत्ति (फैलोशिप) :

पं. कुमार गंधर्व की याद में वर्ष 1992-93 में यह फैलोशिप प्रारंभ की गई। यह फैलोशिप इमेरिट्स फैलोशिप के समान है तथा संगीत मंचन और दृश्य कलाओं के क्षेत्र में 30-40 आयु वर्ग के महत्त्वपूर्ण वरिष्ठ कलाकारों को सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। इस फैलोशिप के अन्तर्गत 24 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिमाह 7,500 रुपये दिए जाते हैं। प्रत्येक वर्ष कुल 5 लोगों को यह फैलोशिप दी जाती है।

वरिष्ठ/कनिष्ठ शिक्षावृत्ति (फैलोशिप) योजना :

भारतीय पारंपरिक कला शैलियों को बचाए रखने के लिए आरंभ की गई यह योजना व्यक्तिगत रचनात्मक प्रयासों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाई गई है, जिससे अति उच्च प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए बुनियादी आर्थिक समर्थन मिलता रहे। 35 से 65 वर्ष की आयु वर्ग के कलाकारों को 6000 रुपये मासिक की वरिष्ठ फैलोशिप दी जाती है, जबकि 25 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के कलाकारों को कनिष्ठ फैलोशिप के अंतर्गत 3000 रुपये मासिक प्रदान किए जाते हैं। प्रत्येक वर्ष 1500 वरिष्ठ फैलोशिप और 300 कनिष्ठ फैलोशिप दी जाती हैं। इस फैलोशिप की अवधि दो वर्ष की है।

नए क्षेत्रों के लिए शिक्षावृत्ति (फैलोशिप) :

सिद्धात पद्धतियों और तकनीकी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 1998-99 में आरंभ की गई। इसके अंतर्गत (1) भारत शास्त्र (2) सांस्कृतिक अर्थशास्त्र (3) स्मारकों के संरचनात्मक और अभियांत्रिकी पहलू (4) मुदाविज्ञान (5) संरक्षण के वैज्ञानिक एवं तकनीको सिद्धान्त (6) संस्कृति का समाजशास्त्र (7) धरोहर और कला तथा संस्कृति से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रबंधन किया जाता है। इन क्षेत्रों में प्रति वर्ष कुल 15 वरिष्ठ फैलोशिप दी जाती हैं और फैलोशिप के अन्तर्गत प्रति माह 6000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। कनिष्ठ फैलोशिप की कुल संख्या 10 है और फैलोशिप के रूप में प्रतिमाह 3000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। इस फैलोशिप की अवधि दो वर्ष की होती है।

युवा कलाकारों को छात्रवृत्ति (स्कॉलरशिप) :

इस योजना के अंतर्गत संगीत, नृत्य दृश्य कलाओं, नाटक, लोक, पारंपरिक और स्वदेशी कलाओं के क्षेत्र में भारत में उच्च प्रशिक्षण के लिए 18-35 वर्ष की आयु वर्ग के विशेष कलाकारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। छात्रवृत्ति को अवधि दो वर्ष की होती है और उन्हें प्रत्येक माह 2000 रुपये दिए जाते हैं। प्रत्येक वर्ष 400 प्रतिभागियों को यह छात्रवृत्ति दी जाती है।

गीत और नाटक प्रभाग :

गीत और नाटक प्रभाग की स्थापना आकाशवाणी की एक इकाई के रूप में 1954 में की गई थी। वर्ष 1960 में इसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीनस्थ एक स्वतंत्र मीडिया यूनिट का दर्जा प्रदान किया गया। इसकी स्थापना पंचवर्षीय योजना के लिए समृद्ध जीवंत प्रचार माध्यमों, विशेषकर पारंपरिक और लोकप्रचार माध्यमों के विभिन्न स्वरूपों का प्रयोग करने के उद्देश्य से की गई थी। यह संगठन लोगों के साथ तत्काल तादात्म्य बनाने और नए-नए विचारों को प्रभावशाली ढंग से अपने कार्यक्रमों में समाविष्ट करने की सशक्त स्थिति में है। यह पारंपरिक नाटक, नृत्यनाटिका, लोकगीत, कठपुतली जैसे विभिन्न मंचन स्वरूपों के अतिरिक्त और ध्वनि-प्रकाश का उपयोग करके श्रोताओं का ध्यान राष्ट्रीय जीवन और विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति के विभिन्न पहलुओं की ओर खींचता है।

प्रभाग के भोपाल, चंडीगढ़, दिल्ली, गुवाहाटी, लखनऊ, चेन्नई, पुणे,
भारतीय संगीत को संस्थानों और मीडिया का योगदान

कोलकाता, बंगलौर और रांची में 10 क्षेत्रीय केन्द्र हैं। इसके नौ उपकेन्द्र भुवनेश्वर, हैदराबाद, पटना, इम्फाल,
जोधपुर, दरभंगा, नैनीताल, शिमला और श्रीनगर में हैं।

गीत और नाटक प्रभाग में सीमावर्ती क्षेत्र में प्रचार योजना 1966 में आरंभकी गई। इसका उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्र में लोगों को प्रोत्साहित करना और उन्हें देश की एकता और अखंडता को भावना से जोड़े रखना है। वर्ष 1967 में सेना मनोरंजन शाखा गठित की गई इसका उद्देश्य दुर्गम सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात जवानों का मनोरंजन करना है। नौ टोलियों में से एक चेन्नई में और शेष दिल्ली में हैं। प्रभाग ने 1976 में ध्वनि प्रकाश और अभिनय के सम्मिश्रण में एक नई विधा विकसित की। इलाहाबाद, दिल्ली और भागीदारी के उद्देश्य से रांची में जनजातीय निकाय केन्द्र स्थापित किया। इस केन्द्र के अन्तर्गत बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश हैं। [24]

शास्त्रीय संगीत के प्रचार-प्रसार में प्रांतीय सरकार का योगदान प्रान्तीय संगीत-नृत्य अकादमियाँ :

संगीत एवं नृत्य कला के क्षेत्र में गुरु-शिष्य परंपरा को पुनरुज्जीवित करने तथा उसके द्वारा होनहार विद्यार्थियों का निर्माण करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली में तथा उसका अनुसरण कर लगभग सभी प्रांतों में धीरे-धीरे संगीत एवं नृत्य अकादमियों की स्थापना अपने-अपने प्रांतों में की। स्वाधीनता उपरांत प्रादेशिक सरकार ने शनैः शनैः मध्यप्रदेश में कई संगीतज्ञों को, जो देशी नरेशों के कोष से वेतन पाते थे, 'शिक्षा विभाग' एवं 'समाज कल्याण विभाग' के अंतर्गत ले लिया तथा कतिपय वयोवृद्ध संगीतज्ञों को पेंशन दी गई। मध्य प्रदेश की भांति भारत के अन्य प्रदेशों में भी देशी नरेशों के आश्रित संगीतज्ञों के लिए अपनी-अपनी सुविधा के अनुसार भिन्न-भिन्न सरकारों ने भिन्न-भिन्न व्यवस्था की। अधिकांश संगीतज्ञ शिक्षण कार्य में किसी न किसी रूप में ले लिए गए। 1955 ई. में शासकीय संगीत महाविद्यालय की स्थापना विन्ध्य प्रदेश के माननीय गर्वनर के सान्निध्य के द्वारा की गई। प्रांतीय योजनाएँ-1 नवम्बर, 1956 से मध्य प्रदेश का गठन हुआ।

इसमें विन्ध्य प्रदेश, मध्य भारत तथा महाकौशल को मिला लिया गया एवं राजधानी भोपाल बनी। मध्यप्रदेश शासन के द्वारा 1956 में वर्तमान समय तक संगीत एवं कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य सम्पन्न किये गये जिनका विवरण निम्न है- कला

परिषद्-यह परिषद् संगीत, नृत्य, नाटक, ललित कला, साहित्य एवं लोक कलाओं की राज्य अकादमी है। इस कला परिषद् में परिषद्, शासन, वर्ष, सामान्य सभा, कार्यकारिणी समिति, सम्बद्ध संस्था और रत्न सदस्य की व्याख्या की गई है।

मध्यप्रदेश सांस्कृतिक विभाग :

मध्यप्रदेश में सांस्कृतिक विकास के लिए मध्यप्रदेश शासन द्वारा अगस्त 1980 को एक सांस्कृतिक विभाग का गठन किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास इस सांस्कृतिक विभाग का प्रभार है। इस विभाग के महत्त्वपूर्ण बिन्दु इस प्रकार हैं -

1. प्रदेश में कलाओं की स्वायत्तता और सम्मान के साथ विकास के अवसरों और साधनों की वृद्धि।
2 प्रदेश की विशाल-सांस्कृतिक परम्परा का संरक्षण।
3. आम नागरिकों के लिये कलाओं के रसास्वादन के अवसरों का विकास।
4. प्रदेश की आदिवासी और लोक संस्कृति के प्रामाणिक संरक्षण के लिये विशेष प्रयत्न।
5. कला सम्बन्धी संस्थाओं का पुनर्गठन और विस्तार तथा कलात्मक गतिविधियों का विकेन्द्रीकरण।
6. दुर्लभ होती जा रही शैलियों, रूपाकारों के लिए विशेष समर्थन।

इन नव गठित संस्कृति विभागों से विभिन्न विभागों को निम्नलिखित इकाइयों में सम्मिलित किया गया है शिक्षा विभाग, पुरातत्व विभाग, प्रकाशन विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, पर्यटन विभाग आदि।

शिक्षा- शिक्षा विभाग में मध्य प्रदेश कला परिषद्, मध्यप्रदेश साहित्य परिषद्, मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी, कालिदास अकादमी, उ० अलाउद्दीन खाँ अकादमी, कालिदास समारोह, गजाननमाधव मुक्तिबोध फैलोशिप, उ० अलाउद्दीन खाँ फैलोशिप, सभी शासकीय संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय, इंदिरा संगीत महाविद्यालय, रवीन्द्र भवन भोपाल सम्मिलित हैं।

अलाउद्दीन खाँ संगीत अकादमी :

18 अप्रैल 1979 को मध्यप्रदेश सरकार ने उ० अलाउद्दीन खाँ संगीत अकादमी की स्थापना की थी। इस अकादमी से जुड़ी दो संस्थाएँ 'ध्रुपद-केन्द्र' और 'चक्रधर नृत्य केन्द्र' भोपाल में ही स्थापित हैं. यहाँ शिक्षण पद्धति गुरु-शिष्य परंपरा पर आधारित है। 'ध्रुपद केन्द्र' की स्थापना सन् 1980 में हुई थी और 'चक्रधर नृत्य केन्द्र' की स्थापना सन् 1981 में हुई थी। 27 127

'ध्रुपद केन्द्र' में लुप्त हो रही ध्रुपद शैली का उच्चकोटि के संगीतज्ञों द्वारा शिक्षण दिया जाता है। ध्रुपद धमार के पारम्परिक डागर परिवार के उ० फहीउद्दीन डागर गुरु के पद पर आसीन हैं। 'चक्रधर नृत्य केन्द्र' जो रायगढ़ रियासत के महाराजा चक्रधर सिंह जी की स्मृति में स्थापित हुआ, इसमें भी नृत्य के विद्वान नृत्यकार पं. कार्तिक राम और उनके सुपुत्र श्री रामलाल लगभग 9 वर्ष तक कथक की शिक्षा देते रहे हैं। इन दोनों ही केन्द्रों का संचालन यथायोग्य सफलतापूर्वक हो रहा है। इन दोनों केन्द्रों की परामर्श समितियाँ भी गठित की गई हैं जो प्रतिभा सम्पन्न युवा संगीतकारों और नृत्यकारों का चयन करके उन्हें चार वर्ष के लिए किसी उच्चकोटि के गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करने हेतु भेजती हैं। वास्तव में यह अकादमी का एक बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है, जिससे युवा पीढ़ी के कलाकारों को उत्साह और उच्च शिक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होता है।

अकादमी का एक और सराहनीय प्रयास है टप्पा जैसी दुर्लभ शैलियों तथा पखावज, बीन और सारंगी जैसे दुर्लभ वाद्यों की शिक्षा का प्रबंध और इन शैलियों के विशेषज्ञों की आर्थिक सहायता। इस योजना के अंतर्गत विद्यार्थी को तो अकादमी 500

रुपये मासिक छात्रवृत्ति देकर सहायता करती ही है गुरु को भी 600 रुपये मासिक धनराशि देने का प्रावधान है, जिससे अर्थहीन (निर्धन) कलाकारों के लिए आर्थिक दृष्टि से सहायता का कार्य भी हो रहा है।

संगीत को सुरक्षित रखने एवं संगीतकारों के लिए लिखित सामग्री उपलब्ध करवाने हेतु भी यह अकादमी सक्रिय है। अकादमी ने कई महत्त्वपूर्ण पुस्तकों का प्रकाशन किया है। सन् 1981 में मध्यप्रदेश के प्रतिष्ठित संगीतकारों पर पहली बार पुस्तकों का प्रकाशन हुआ। जिनमें प्रख्यात संगीतज्ञ उ० रजब अली खाँ पर पं. कार्तिकराम ने, उ० अलाउद्दीन खाँ की आत्मकथा 'मेरी कथा'. जिसका हिन्दी अनुवाद राहुल बारपुते ने किया है तथा 'कुमार गंधर्व' जिसका संपादन अशोक वाजपेयी ने किया है, प्रकाशित हुई हैं। संगीत समीक्षक मोहन नाडकर्णी ने मध्यप्रदेश के प्रमुख संगीतकारों उ० अमीर खाँ, श्री डागर बंधु, पं. कृष्णराव शंकर पंडित, श्री शरतचंद्र अशोलकर, पं. कुमार गंधर्व, उ. अब्दुल हलीम जाफर खाँ, उ० अमजद अली खाँ, श्री बुद्धादित्य मुखर्जी, श्रीमती मालिनी राजुरकर, श्री अजय पोहनकर, श्री ओमप्रकाश चौरसिया और श्रीमती किरण देशपाण्डे के जीवन चरित्र पर 'मध्यवर्ती' नामक पुस्तक लिखी है। अंग्रेजी में यह पुस्तक अकादमी ने स्वयं प्रकाशित की है, शेष पाँच हिन्दी पुस्तकें राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली ने अकादमी के लिए प्रकाशित की हैं।

सन् 1982 का ध्रुपद समारोह डागर घराने के सात उस्तादों पर केन्द्रित था। यह एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण समारोह प्रमाणित हुआ क्योंकि ऐसे बहुत कम ध्रुपद समारोह या ध्रुपद सम्मेलन हैं जिनमें इतनी संख्या में उच्चकोटि के ध्रुपद गायकों ने भाग लिया हो। अकादमी की ये बहुत बड़ी उपलब्धियाँ मानी जा सकती हैं। अकादमी ने इंदौर में उ० अमीर खाँ समारोह का आयोजन भी करना आरम्भ कर दिया है। इस प्रकार यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि अकादमी के इन महत्त्वपूर्ण प्रयासों जैसे 'ध्रुपद समारोह', 'उ० अलाउद्दीन खाँ स्मृति संगीत समारोह', 'दुर्लभ वाद्य विनोद', 'उ० अलाउद्दीन खाँ-व्याख्यान माला', 'अमीर खाँ समारोह", नृत्य से सम्बन्धित 'घूंघरू', 'चक्रधर समारोह' आदि समारोहों के माध्यम से वास्तव में संगीतकारों को अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है। यह उनके लिए आत्मीय मंच है।

कालिदास अकादमी एवं उ० अलाउद्दीन खाँ अकादमी कार्य विस्तार की भी योजना बनाती है, जिसके अंतर्गत कालिदास भवन निर्माण के लिए 18 लाख रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया। उज्जैन में प्रतिवर्ष 'कालिदास समारोह' तथा ग्वालियर में 'तानसेन समारोह' आयोजित किया जाता है। कुछ वर्षों से 'उ० अलाउद्दीन खाँ समारोह मैहर' एवं 'खजुराहो नृत्य उत्सव, खजुराहो', राष्ट्रीय समारोहों के रूप में मनाए जा रहे हैं।" 'चक्रधर नृत्य केन्द्र' कथक नृत्य शिक्षण हेतु 'राजा चक्रधर सिंह नृत्य केन्द्र' सन् 1981 से प्रारंभ किया गया। इस केन्द्र में रायगढ़, जयपुर और लखनऊ घराने से वरिष्ठ गुरु लिये जाते हैं। प्रत्येक गुरु के पास पांच से दस शिष्य प्रशिक्षित होते हैं। छात्र को तीन सौ रुपये छात्रवृत्ति दी जाती है। इस केन्द्र के लिए वर्ष 1980-81 में 1.55 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई।"

कालिदास सम्मान 'कालिदास सम्मान' शास्त्रीय संगीत के उत्थान के लिए योग्य कलाकारों को दिया जाने वाला एक राष्ट्रीय पुरस्कार है। इस पुरस्कार के अन्तर्गत कलाकार को एक लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। यह पुरस्कार भी मध्यप्रदेश सरकार द्वारा ही प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। कुमार गंधर्व पुरस्कार- 'मध्यप्रदेश सरकार' ने महान संगीतकार स्व कुमार गंधर्व की याद में एक-एक राष्ट्रीय पुरस्कार आरंभ करने का निर्णय लिया। जिसके अंतर्गत 50,000 रुपये पुरस्कार की राशि के रूप में दिए जाने की योजना बनाई। यह पुरस्कार मध्यप्रदेश के देवास नगर में आयोजित एक समारोह में प्रत्येक वर्ष दिए जाने का निर्णय लिया गया क्योंकि स्व. कुमार गंधर्व ने अपने जीवन के अनेक वर्ष इसी शहर में बिताए थे।"

तानसेन पुरस्कार-शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में विशेष नाम और ख्याति अर्जित करने वाले कलाकारों को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 'तानसेन पुरस्कार' से सम्मानित किया जाता है। यह पुरस्कार भोपाल में आयोजित 'तानसेन संगीत समारोह' के

अन्तर्गत प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। इन अकादमियों एवं केन्द्रों में शिक्षार्थियों का चयन बड़ी सावधानी से किया जाता है। चूंकि, चुने गये विद्यार्थी को अच्छी छात्रवृत्ति दी जाती है, अतः ऐसा एकाध विद्यार्थी ही चुना जाता है, जो सचमुच में प्रतिभावान एवं विषय हेतु पूर्णतः समर्पित होता है। जिन विषयों के शिक्षण की व्यवस्था इस अकादमी के भोपाल केन्द्र में नहीं है, उन विषयों में शिक्षा प्राप्त करने हेतु छात्रवृत्ति पाने वाले विद्यार्थियों को विषय के मान्य गुरुओं के पास भेजने की व्यवस्था भी है। वीणा, सारंगी तथा गायन में टप्पा शैली की शिक्षा हेतु ऐसी व्यवस्था की गई है।

उत्तर-प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ :

उत्तर-प्रदेश संगीत नाटक अकादमी द्वारा नए कलाकारों को प्रशिक्षण देने और छात्रवृत्ति प्रदान करने की दो नई योजनाएँ आरंभ की गई हैं। प्रथम योजना के अंतर्गत अकादमी प्रादेशिक सांगीतिक प्रतियोगिताओं में गायन, पखावज वादन और कथक नृत्य में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले कलाकारों का चयन करके उन्हें उच्चतर प्रशिक्षण हेतु एक वर्ष तक चार सौ रुपये मासिक की छात्रवृत्ति प्रदान करती है। दूसरी योजना के अंतर्गत नक्कारा वादक उ. रसीद खाँ वारसी के निर्देशन में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है।

असहाय कलाकारों को आर्थिक सहायता :

'उत्तर-प्रदेश सरकार ने वृद्ध और गरीब कलाकारों के लिए सन् 1986-87 में आर्थिक सहायता देने की योजना बनाई है। सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार यह सहायता उन कलाकारों को दी जाएगी जिनकी आयु 55 वर्ष या इससे अधिक है तथा जिन्होंने गायन-वादन और नृत्य या ललित कला के विकास में विशिष्ट सेवा की है और जिनके कार्य को उच्चकोटि की मान्यता मिली है। योजना के अंतर्गत वृद्ध और विपन्न कलाकारों को प्रतिवर्ष अधिकतम दो हजार रुपये तक वित्तीय सहायता दी जा सकेगी। यह सहायता उन्हीं कलाकारों को दी जाएगी जिनकी सभी साधनों से आय प्रतिवर्ष तीन हजार रुपये से अधिक न हो। इसमें केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायता भी सम्मिलित है।"

उत्तर प्रदेश संगीत अकादमी (लखनऊ) द्वारा सम्मानित कलाकारों के लिए नियम

उत्तर-प्रदेश संगीत नाटक अकादमी प्रतिवर्ष संगीत, नृत्य एवं रंगमंच के क्षेत्र के विशिष्ट कलाकारों को पुरस्कार एवं रत्न सदस्यता से सम्मानित करतो है। अकादमी द्वारा निर्धारित विधाओं व्यक्तिगत अर्हताओं की सूची यहाँ प्रस्तुत की जा रही है। रत्न सदस्यता के लिए व्यक्ति में ये अर्हताएँ आवश्यक मानी जाती हैं 34

1. वह उत्तर-प्रदेश का निवासी हो अथवा उसने उत्तर-प्रदेश की सांस्कृतिक समृद्धि के लिए संगीत, नृत्य
2. अथवा रंगमंच के क्षेत्र में कम से कम दस वर्ष तक विशिष्ट योगदान दिया हो।
3. वह संगीत नृत्य अथवा नाटक का विद्वान हो। अकादमी पुरस्कार के लिए उसने उत्तर-प्रदेश में पुरस्कार के लिए विचार किए जाने वाले वर्ष से कम से कम एक दशक पूर्व तक संगीत और नृत्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो अथवा नाटक के क्षेत्र में नाट्य तकनीकी गतिविधि या लेखन में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया हो।
4. पुरस्कार के लिए विचार किए जाने वाले वर्ष में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन की क्षमता रखता हो।"

उत्तर-प्रदेश सांस्कृतिक केन्द्र-पटियाला :

इस केन्द्र की स्थापना सन् 1986 ई. में स्व. प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने अपने कर कमलों से की थी। भारतवर्ष में इस प्रकार के केवल सात केन्द्र हैं जैसे 'उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र', दीमापुर और 'पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र', कोलकाता। इसके शेष तीन केन्द्र इलाहाबाद, उदयपुर एवं अन्य और शहरों में स्थापित किए गये हैं। पूर्वजों की धरोहर अर्थात हमारी प्राचीन संस्कृति को समाज में यथायोग्य स्थान दिलाने अतः उसका प्रचार एवं प्रसार करने के लिए ही इन केन्द्रों की योजना बनाई गई है। इनके अंतर्गत शास्त्रीय, उपशास्त्रीय, लोक संगीत सभी कलाओं को स्थान दिया गया है।

उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र पटियाला द्वारा संगीत संस्थाओं, सांगीतिक समितियों एवं अन्य संस्थाओं, जो शास्त्रीय संगीत के प्रचार-प्रसार में सक्रिय हैं, सभी के साथ तालमेल बनाकर कार्यक्रम आयोजित करना भी इसके प्रमुख कार्यों में से एक है। 'बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन जालंधर' पंजाब का हो नहीं अपितु समस्त भारत का एक विख्यात संगीत सम्मेलन है जिसमें देश के प्रत्येक उच्चकोटि के कलाकारों ने अपना प्रदर्शन कर ख्याति अर्जित की है। कुछ समय से पंजाब की बदलती परिस्थितियों के कारण इसका संचालन गत कई वर्षों से अवरूद्ध-सा हो गया था। किन्तु 'उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र' ने सन् 1991 में इसके संचालन का कार्यभार अपने हाथों में लेकर कार्यक्रम को आयोजित किया, जो बहुत ही सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। इसमें भाग लेने वाले कलाकारों का सहयोग भी प्रशंसनीय है।

कार्यक्रमों के आयोजन में जो भी धन व्यय होता है उसके लिए पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान और चंडीगढ़ की सरकारों द्वारा धनराशि अनुदान के रूप में केन्द्र को प्राप्त होती है। जब-जब सरकारें आदेश देती हैं, केन्द्र द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। राज्य सरकारें आवश्यकता पड़ने पर विदेशों में भी कार्यक्रम आयोजित करने को कहती हैं। इस केन्द्र की प्रमुख विशेषता यह है कि एक ओर जहां उच्चकोटि के कलाकारों को आमंत्रित किया जाता है वहीं उभरती प्रतिभाओं व युवा कलाकारों को भी प्रदर्शन के अनेक अवसर प्रदान किए जाते हैं। शहरों के साथ-साथ कस्बों में भी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। गत वर्षों में पंजाब और हरियाणा के कई ऐसे स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए जैसे महेन्द्रगढ़, बरनाला, रोपड़ आदि के जनसमुदाय ने इस प्रकार के प्रयासों की खुले हाथों प्रशंसा की। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कार्यक्रम से पूर्व पूर्ण रूप से विज्ञापन भी दिए जाते हैं। कार्यक्रम का पूर्ण विवरण और उसकी समीक्षा 'संगीत' जैसी पत्रिकाओं एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाती है।

पर्यटन एवं संचार मंत्रालय का कला तथा संस्कृति विभाग :

पर्यटन एवं संचार मंत्रालय का संस्कृति विभाग कला तथा संस्कृति के संरक्षण, विकास और प्रसार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस विभाग का उद्देश्य ऐसी पद्धति का विकास करना है, जिससे कला और संस्कृति सम्बन्धी बुनियादी सांस्कृतिक और सौन्दर्यपरक मूल्यों तथा अवधारणाओं को लोगों के मन-मस्तिष्क में जीवन्त बनाए रखा जा सके। यह समकालीन सृजनात्मक कार्यकलापों की विभिन्न विधाओं के संरक्षण, प्रोत्साहन और प्रसार से संबंधित कार्यक्रम भी संचालित करता है। यह विभाग ऐतिहासिक महत्त्व की घटनाओं के संबंध में महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों को संचालित करने और महापुरुषों की शताब्दियाँ मनाने वाली प्रमुख संस्था है। पर्यटक विभाग से खजुराहो नृत्य उत्सव का आयोजन भी होता है।

सांस्कृतिक स्त्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र :

इस केन्द्र की स्थापना मई 1979 में एक स्वायत्तशासी संगठन के रूप में की गई थी। पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के सांस्कृतिक विभाग का इस पर प्रशासनिक नियंत्रण है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा इसके दो क्षेत्रीय केन्द्र हैदराबाद और उदयपुर में हैं। इस केन्द्र का व्यापक उद्देश्य भारत की बहुविध क्षेत्रीय संस्कृति की विद्यार्थियों में समझ और जागरूकता बढ़ाना तथा कला से जोड़कर शिक्षा पद्धति में पुनः ऊर्जा प्रदान करना है। यह देश के सभी भागों में नौकरी कर रहे विद्यार्थियों पर लागू होता है। यह केन्द्र विदेशी विद्यार्थियों और अध्यापकों के लिए भारतीय कला और संस्कृति संबंधी शैक्षिक कार्यक्रम भी आयोजित करता है। केन्द्र नाटक, संगीत, वर्णानात्मक कला शैलियों तथा कलात्मक गतिविधियों के विषय में कार्यशालाएँ भी आयोजित करता है।

वर्ष 1982 से यह केन्द्र सांस्कृतिक प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना चला रहा है। इसके अन्तर्गत 10-14 वर्ष के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं, जिससे वे या तो मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ते रहें या फिर संबंधित (पारंपरिक मंचन या अन्य कलाओं में जुटे) घरानों में उनकी शिक्षा चलती रहे। यह छात्रवृत्ति 20 वर्ष की आयु तक या विश्वविद्यालय डिग्री पाठ्यक्रम के पहले साल तक प्रदान की जाती है। प्रत्येक वर्ष लगभग 300 छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं। चुने गए अध्यापकों के लिए सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण पुरस्कार भी आरंभ किए गए हैं। पुरस्कार के अंतर्गत एक प्रशस्तिपत्र एवं एक पट्टिका, एक अंग-वस्त्रम् और 10,000 रुपये की धनराशि दी जाती है। यह केन्द्र अब तक 356 अध्यापकों को सम्मानित कर चुका है।

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र :

'इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र' की स्थापना, भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की स्मृति में 19 नवंबर, 1985 को पूर्ण सहायता प्राप्त और स्वायत्तशासी संघ (ट्रस्ट) के रूप में की गई। इस केन्द्र की कल्पना एक ऐसे केन्द्र के रूप में की गई है, जहाँ सभी कलाओं के अध्ययन एवं अनुभव अपने अलग-अलग अस्तित्व में तो हों. लेकिन आपस में एक-दूसरे पर निर्भरता तथा प्रकृति, सामाजिक-ढाँचे और कला-संसार से परस्पर संबद्धता के दायरे के भीतर भी हों। अपने सभी कार्यों में इस केन्द्र का दृष्टिकोण बहुशाखीय और अंतरशाखीय होता है। इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र में पाँच मुख्य प्रभाग है (1) कला निधि, (2) कला कोश, (3) जनपद संपदा, (4) कला दर्शन और (5) सूत्रधार। इनमें से 'कला दर्शन' प्रभाग विभिन्न संस्कृतियों, विषयों और विविध कलाओं के लिए एक स्थान और मंच प्रदान करता है जहाँ उनके बीच रचनात्मक संवाद हो सकें। यह इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु एकीकृत विषय वस्तुओं और अवधारणाओं पर प्रदर्शनियाँ, अंतर विषयक संगोष्ठी (सेमिनार) आदि आयोजित करता है।

स्वतंत्रता के उपरांत संगीत की उन्नति के लिए सरकार द्वारा दिया गया महत्त्वपूर्ण योगदान :

1. देशी राज्यों की समाप्ति के उपरांत राज्यों के प्रसिद्ध संगीतकारों को सरकारी आर्थिक सहायता, विज्ञप्ति (पेंशन), प्रमाणपत्र और उपाधियाँ प्रदान करना।
2. संगीतकारों तथा अन्य प्रमुख और उदीयमान कलाकारों को रेडियो द्वारा कार्यक्रम देने में उनकी सहायता करना।
3. संगीतकारों के कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग एवं टेप रिकॉर्डिंग द्वारा उनके संगीत को चिर-स्थाई करना, कलाकारों को विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित करना।

4. अखिल भारतीय संगीत सम्मेलनों का राजकीय तथा अन्य संस्थाओं द्वारा आयोजन। भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष दिल्ली एवं अन्य स्थानों पर विराट संगीत सम्मेलनों का आयोजन कर संगीत के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देना।
5. नवोदित कलाकारों को सरकारी छात्र-वृत्तियाँ देना जिससे वे बड़े संगीतकारों के निर्देशन में अपनी कला का विकास कर सकें।
6. संगीत की बहुमुखी उन्नति और शोध कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा संगीत अकादमी का निर्माण। जिनके माध्यम से संगीतकारों पर पुस्तकों का प्रकाशन कार्य होने लगा तथा विभिन्न समारोहों के आयोजन किए जाने लगे।
7. भारत सरकार का एक महत्त्वपूर्ण प्रयास विदेश भ्रमण करने वाले शिष्ट मण्डलों में संगीतकारों को भेजा जाना है जिससे कि विदेशों में भी भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रति रुचि और आदर की भावना जागृत हो सके।
8. वर्तमान समय में शिक्षण संस्थाओं में भी संगीत एक विषय के रूप में अपनाया जा रहा है और सरकार का यह प्रयास रहता है कि विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में इस विषय का अधिक से अधिक समावेश हो।
9. विश्वविद्यालयों में बी.ए., आदि पाठ्यक्रमों में अन्य पाठ्य विषयों की भांति संगीत को भी स्थान प्राप्त हो।
10. नए-नए संगीत विद्यालयों की स्थापना एवं उनकी राजकीय आर्थिक सहायता।
11. संगीत के उत्थान में सक्रिय अन्य निजी संस्थाओं के साथ सहयोग एवं अनुदान प्रदान कर सहायता देना।

संगीत सम्बन्धी निजी संस्थान :

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संगीत कला का विभिन्न दिशाओं में विकास हुआ। विकास के इस चरण में निजी संस्थाओं का भी विशेष योगदान रहा। आरंभ में कुछ ऐसी संगीत की निजी संस्थाओं का विकास हुआ जिन्होंने देश की महान विभूतियों की स्मृति में संगीत सभाओं का आयोजन किया। इनमें मुम्बई का 'सुर सिंगार समसद', प्रमुख है जिसने वृन्दावन में प्रथम बार 'स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन' आयोजित कराया। इस प्रकार की संस्थाओं के आगमन ने उन स्थलों को संगीतकारों का तीर्थस्थान बना दिया। भविष्य में इन्हीं संगीत संस्थानों से प्रेरणा प्राप्त कर विभिन्न नगरों में संगीत संस्थानों की स्थापना होने लगी। ये संगीत संस्थान कलाकारों को मंच प्रदर्शन का भी अवसर प्रदान करती हैं तथा इनके द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से आज हजारों की संख्या में श्रोताओं की वृद्धि हो सकी है, जो विशिष्ट कलाकारों के सम्मुख बैठकर प्रत्यक्षतः उनके संगीत कार्यक्रम को सुन सकते हैं। इस प्रकार इन संस्थानों के माध्यम से जहाँ श्रोताओं को कलाकारों का संगीत सुनने का अवसर प्राप्त होता है, वहीं कलाकारों को भी अपनी कला के प्रदर्शन का अवसर प्राप्त होता है। संगीत की ये संस्थान महान दिग्गजों को विशेष अवसरों पर मानपत्र एवं उपाधियाँ भी प्रदान करने का कार्य कर रही हैं। इसके अतिरिक्त वे कलाकारों को आर्थिक सहायता भी प्रदान कर रही हैं। भारतीय सरकार एवं निजी संस्थानों द्वारा संगठित रूप में संगीत के विकास का यह प्रशंसनीय कार्यक्रम निर्बाध रूप से चल रहा है। शास्त्रीय संगीत के वर्तमान स्वरूप में ये संस्थान इमारत के स्तम्भ सदृश्य हैं।

कल्याण गायन समाज" (महाराष्ट्र) :

इस संस्थान की स्थापना श्री भास्कर बुवा बखले की याद में श्री सीताराम ए. पई. द्वारा सन् 1926 में, महाराष्ट्र में की गई। शास्त्रीय संगीत को प्रोत्साहन देना इसका मुख्य लक्ष्य है। यह संस्थान विभिन्न संगीत समारोह आयोजित करती है, जिसमें गायन वादन दोनों के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यहाँ संगीत के विभिन्न विख्यात संगीतज्ञों के व्याख्यानों का भी आयोजन किया जाता है।

उत्कल संगीत समाज" (कटक) उड़ीसा :

इस संस्था की स्थापना सन् 1933 में जस्टिस जुगल किशोर मोहंती द्वारा कटक में की गई। यह संस्था प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद से तथा 'उडीसा संगीत नाटक अकादमी' से सम्बन्धित है तथा यहाँ हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत (गायन) की शिक्षा का प्रबंध स्नातकोत्तर स्तर तक है।

सरस्वती संगीत विद्यालय (बैंगलोर) कर्नाटक :

बैंगलोर में सन् 1937 में स्वर्गीय गोविन्द विठ्ठल भावे के द्वारा सरस्वती संगीत विद्यालय की स्थापना की गई। बैंगलोर में यही पहला संगीत संस्थान है जहाँ हिन्दुस्तानी संगीत-शिक्षा प्रारम्भ हुई। अतः बैंगलोर में हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति का प्रादुर्भाव करने का श्रेय इस संस्था को दिया जा सकता है। वर्तमान में यह संस्था सुश्री श्यामला जी. भावे (संस्थापक की पुत्री) के नेतृत्व में कार्य कर रही है जो कि राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संगीतज्ञा हैं। उल्लेखनीय है कि सुश्री श्यामला जी हिन्दुस्तानी और कर्नाटक संगीत तथा गायन और वादन दोनों में ही विशेष रूप से प्रशिक्षित हैं।संस्था द्वारा श्रव्य एवं दृश्य कलाओं की विशेषताओं को दर्शाने के लिए सीधे-प्रसारण भी आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था ने 1990 में 60 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर पूरे वर्ष लम्बा संगीत महोत्सव आयोजित किया। संस्था की ओर से पुस्तकालय की भी व्यवस्था है जहाँ पुस्तकों के अतिरिक्त श्रव्य प्रदीर्घ और कुछ पुराने वाद्यों का संग्रह भी है। इस संस्था को आर्थिक सहायता निजी स्त्रोतों से प्राप्त होती है। यह संस्था राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त है। इस संस्था के निर्माण में किए प्रयासों को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि विभिन्न वादन शैलियों की पृथक-पृथक संस्थान होनी चाहिएँ, जहाँ उनका प्रशिक्षण देकर संगीत के विभिन्न क्षेत्रों में महान कलाकारों का निर्माण किया जा सके।

सगीत महाविद्यालय" (राष्ट्रीयशाला) (राजकोट) गुजरात :

महात्मा गाँधी जी के आशीर्वाद से इस संस्था की स्थापना श्री पुरुषोत्तम एन. गाँधी के नेतृत्व में सन् 1938 में गुजरात के राजकोट नामक स्थान पर हुई। इस संस्था में संगीत (गायन, वादन) तथा नृत्य (भरतनाट्यम) की शिक्षा उपाधि (डिग्री) के पाठ्यक्रमानुसार दी जाती है। यह संस्था अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय मंडल द्वारा सम्बद्ध है। यह संस्था, संगीत सम्मेलन और संगीत महोत्सव आयोजित कराती रहती है। इस संस्था में विकलांगों के लिए संगीत की मुफ्त शिक्षा का संकाय भी है। इस संस्था को आर्थिक अनुदान सरकार द्वारा प्राप्त होता है तथा राष्ट्रीय शाला इसकी प्रबंध परिषद (गवर्निंग बॉडी) है।

नैशनल म्यूजिक ऐसोसिएशन (कटक) उड़ीसा :

यह संस्थान सन् 1943 में श्री के. बी. प्रसाद द्वारा उड़ीसा में स्थापित किया गया। यह शास्त्रीय संगीत, नृत्य, नाटक आदि के माध्यम से भारतीय संस्कृति के विकास के लिए प्रयासरत है। मुख्य रूप से यह संस्थान प्रशिक्षण एवं संगीत, नृत्य और नाटक के कार्यक्रमों को प्रदर्शित करने का कार्यभार संभालती है। संगीत की उच्च शिक्षिकाएँ डॉ. सुनंदा पाठक और डॉ. मिनाती मिश्रा ने इसी विद्यालय से अपनी आरम्भिक शिक्षा प्राप्त की।

दी हुबली आर्ट्स सरकल" (हुबली) :

इस संस्था की स्थापना 1944 में एस.एस. गोरे द्वारा जनता तथा संस्था के सदस्यों से अनुदान प्राप्त करके की गई। यह संस्था हुबली की संगीत प्रिय जनता के लिए संगीत विख्यात कलाकारों के कार्यक्रमों का आयोजन करती है। 1970 में इस संगीत संस्था की रजत जयन्ती का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में श्रेष्ठ कलाकारों तथा नव-उदीयमान कलाकारों को आमंत्रित किया गया था। दी हुबली आर्ट्स सरकल और अकादमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स मिलकर कई सारे संगीत के कार्यक्रमों का आयोजन करती हैं जैसे 'संगीत की स्वरलिपि' विषय पर संगोष्ठी, 1986 में आयोजित 'सवाई गांधर्व जन्मशतीसमारोह', 1988 में 'डॉ. श्रीमती गंगुबाई हंगल अमृत महोत्सव' एवं 1990 में 'संगीत प्रोत्साहन पाठ्यक्रम' आदि प्रमुख हैं। इस संस्था में 'एक सवाई गंधर्व सभागार' है, जहाँ संगीत तथा नाटक के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

सुर सिंगार समसद" (मुम्बई) महाराष्ट्र :

यह संस्था सन् 1947 में बृज नारायण (संगीत दास) द्वारा मुम्बई में स्थापित की गई। आज इस संस्था के माध्यम से बहुत से संगीतज्ञों और कलाकारों का नाम हुआ है। इस संस्था ने ही 'स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन' पहली बार 1949 में आयोजित किया था जिएमें पं. रविशंकर, उ. अली अकबर खाँ, उ. विलायत खाँ, बड़े डागर बंधु, उ. बिस्मिल्लाह खाँ, पं. किशन महाराज, पं. सियाराम तिवारी, पं. लक्ष्मण जयपुरवाले आदि ने भाग लिया था इसके अतिरिक्त यह संस्था 'कल के कलाकार' संगीत सम्मेलन भी आयोजित कराती है। 'संगीतपीठ' (सुर-सिंगार समसद की ही एक शाखा) वार्षिक पत्रिका भी निकालती है।

संगीत कला प्रसारक संघ (बैंगलोर) कर्नाटक :

यह संस्था कर्नाटक के बैंगलोर नामक स्थान पर सन् 1952 में स्थापित की गई। यह एक प्रबंध परिषद (गवर्निंग बॉडी) है, जिसका उद्देश्य संगीत शिक्षा की सदस्यता से हिन्दुस्तानी और कर्नाटक संगीत तथा नृत्य नाटिकाओं को प्रोत्साहन देना है। संगीत के कार्यक्रमों का आयोजन कर नवोदित कलाकारों को मंच प्रदान कर प्रोत्साहित करना भी इस संस्था का एक उद्देश्य है। इस संस्था को आर्थिक सहायता निजी स्त्रोतों से प्राप्त होती है।

संगीत नाट्य निकेतन (उदयपुर) राजस्थान :

इस संस्था की स्थापना सन् 1952 में श्री महेशचंद्र भट्ट द्वारा उदयपुर में की गई। यहाँ भारतीय शास्त्रीय संगीत (गायन और वादन) के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। इस संस्था के विद्यार्थियों की परीक्षा का प्रबंध 'प्रयाग संगीत समिति' इलाहाबाद से किया जाता है। यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों सम्मेलनों आदि का आयोजन होता रहता है.

संदर्भ ग्रंथ :

1. हिन्दुस्तानी संगीतः परिवर्तनशीलता, असित बैनर्जी, पृष्ठ 110.
2. उत्तरी भारत में संगीत शिक्षा, तृप्त कपूर, पृष्ठ 132-133.
3. हिन्दुस्तानी संगीतः परिवर्तनशीलता, असित बैनर्जी पृष्ठ 112
4. भारतीय संगीत शिक्षण प्रणाली एवं उसका वर्तमान स्तर, मधुबाला सक्सेना, पृष्ठ 9-
5. उत्तरी भारत में संगीत शिक्षा, तृप्त कपूर, पृष्ठ 133.

6. आधुनिक काल में शास्त्रीय संगीत डॉ. हुकमचन्द, पृष्ठ 143.
7. हिन्दुस्तानी संगीतः परिवर्तनशीलता, असित बैनर्जी पृष्ठ 113.
8. भारतीय संगीत शिक्षण प्रणाली एवं उसका वर्तमान स्तर, मधुबाला सक्सेना, पृष्ठ प्र
9. हिन्दुस्तानी संगीतः परिवर्तनशीलता, असित बैनर्जी पृष्ठ 111-112.
10. संगीत शिक्षाः समस्याएं एवं समाधान अलकनंदा पलनीटकर, पृष्ठ 77.
11. भारत 2002, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, प्रकाशन विभाग, पृष्ठ 119.
12. संगीत की संस्थागत शिक्षण प्रणाली, अमरेशचन्द्र चौबे, पृष्ठ 120.
13. हिन्दुस्तानी संगीत: परिवर्तनशीलता, असित बैनर्जी, पृष्ठ 115-117.
14. संगीत, मई 1992, उ० अलाउद्दीन खाँ संगीत अकादमी के बारह वर्ष, पृष्ठ 54.
15. संगीत, मई 1982, समीक्षा 'त. अलाउद्दीन खाँ स्मृति संगीत समारोह। मैहर', मुकेश गर्ग पृष्ठ 54-55.
16. हिन्दुस्तानी संगीत: परिवर्तनशीलता, असित बैनर्जी पृष्ठ 119.
17. संगीत की संस्थागत शिक्षा प्रणाली, अमरेशचंद्र चौबे, पृष्ठ 93.
18. हिन्दुस्तानी संगीत: परिवर्तनशीलता, असित बैनर्जी पृष्ठ 119.
19. संगीत, अप्रैल, 1992, संगीत जगत् समाचार, 'कुमार गधर्व पुरस्कार', पृष्ठ 55.
20. आधुनिक काल में शास्त्रीय संगीत, डॉ. हुकमचंद, पृष्ठ 117.
21. भारत 2002, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, प्रकाशन विभाग, पृष्ठ, 114.
22. भारत 1998, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, प्रकाशन विभाग, पृष्ठ, 133.
23. आधुनिक काल में शास्त्रीय संगीत, हुकमचंद, पृष्ठ 166.
24. Directory of Cultural Organisations, ICCR
25. संगीत की संस्थागत शिक्षण प्रणाली, अमरेशचंद्र चौबे, पृष्ठ 46.
26. आधुनिक काल में शास्त्रीय संगीत, हुकमचंद, पृष्ठ 98.
27. Directory of Cultural Organisations, ICCR, page 547.